Index 3.2.2

Grant for Research Project Sponsored by the Gov. Agencies during last 5 years.

S.No.	Particular	Page No.
1	List of the Research Project Year wise	1-3
2	Sanctioned Letter by Government	4-5
3	Minutes of Research Committee	6-8
4	Utilization Certificates	9-11
5	Guideline - 2016	12-34

Registrar
IASE (Deemed to be University)
Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

Grants for projects sponsored by the government agencies during the last five years (INR in Lakhs) (10)

Name of the Scheme/Project/ Endowments/ Chairs	Name of the Principal Investigator/ Co Investigator (if applicable)	Name of the Funding agency	Type (Government/Non-Government)	Department	Year of Award	Funds provided (INR in lakhs)	Duration of the project
CTE Grant	Dr. Kanchan Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015	10.5	6 months
CTE Grant	Dr. Ajay Krishna Tiwari	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Dr. Narendra Bhatt	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Dr. Raj Kumar Mali	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Dr. Lokesh Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Dr. Manisha Verma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Dr. Suresh Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Ms. Usha Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Ms. Alpana Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Ms. Madhu Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2015		6 months
CTE Grant	Dr. Sarita Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2016	6.1	6 months
CTE Grant	Dr. Raj Kumar Mali	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2016		6 months
CTE Grant	Dr. Ranjita Baid	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2016		6 months
CTE Grant	Mr. Vijendra Singh	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2016		6 months
CTE Grant	Ms. Rashmi Jain	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	Government	Education	2016		6 months

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

CTE Grant	Ms. Meenakshi Modi	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2016		6 months
CTE Grant	Dr. Rama Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2016		6 months
CTE Grant	Dr. Sheetal Chotiya	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2016	4.03	6 months
CTE Grant	Mr. Praveen Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2016		6 months
CTE Grant	Dr. Sarita Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017		6 months
CTE Grant	Dr. Ajay Krishna Tiwari	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017		6 months
CTE Grant	Dr. Ranjita Baid	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017	9.25	6 months
CTE Grant	Ms. Sangeeta Soni	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017		6 months
CTE Grant	Ms. Sheetal Chotiya	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017		6 months
CTE Grant	Dr. Rama Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017		6 months
CTE Grant	Ms. Meenakshi Modi	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017	8.66	6 months
CTE Grant	Dr. Kanchan Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2017		6 months
CTE Grant	Dr. Sarita Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months
CTE Grant	Dr. Ajay Krishna Tiwari	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months
CTE Grant	Dr. Raj Kumar Mali	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months
CTE Grant	Dr. Narendra Bhatt	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018	9.45	6 months
CTE Grant	Dr. Ranjita Baid	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months
CTE Grant	Dr. Kanchan Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

CTE Grant	Dr. Sangeeta Soni	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months
CTE Grant	Dr. Rama Sharma	Govt. of Rajasthan, Shiksha Group 1	**Government**	**Education**	2018		6 months

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

(5)

जरिये ई–मेल

129

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–माध्य/शि.प्र./बी/बजट/निर्देश/18719/2016/52 दिनांक: 02-6-16

1–प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान
बीकानेर/अजमेर ।
2–प्राचार्य,
समस्त सी0टी0ई0

विषय :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित आई0ए0एस0ई0,सी0टी0ई0 संस्थाओं के लिए आवर्तक एवं अनावर्तक मद में व्यय करने के दिशा निर्देश–2016 (गाईड लाईन) के सम्बंध में ।

प्रसंग :– राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प0 13(2)शिक्षा–1/2015, दिनांक 6.5.16

–00–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के पत्र के संदर्भ में लेख है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रदत्त संचालित आई0ए0एस0ई0, सी0टी0ई0संस्थाओं हेतु वर्ष 2016–17 के लिए कार्ययोजना एवं बजट के सम्बन्ध में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनॉक 12 मार्च 2016 को बैठक आयोजित की गयी । बैठक की कार्यवाही विवरण के क्रम संख्या 04 के अनुसार आई0ए0एस0ई0 एवं सी0टी0ई0संस्थाओं हेतु वित्तीय एवं अकादमिक कार्यों की गाईड लाईन जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए । उक्त निर्देशो की पालना मे गाईड लाईन तैयार कर राज्य सरकार ने भिजवायी है ।

अतः उक्त गाईड लाईन आपको संलग्न कर /ईमेल भिजवायी जा रही है । गाईड लाईन के अनुसार आगामी व्यय करने संबधी कार्यवाही करें ।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई0ए0एस0
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:–
1– शासन उप सचिव, प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1)जयपुर को उनके पत्रांक प0 13(2)शिक्षा–1/2015, दिनॉक 6.5.16 के क्रम में ।
2–समस्त उप निदेशक (मा)शिक्षा ।
3–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मा) प्रथम/द्वितीय

6/6.
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

TRANING-B/E

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

(5)

जरिये ई–मेल

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमॉक : शिविरा–माध्य/शि0प्र0/बी/18701(6)/2016–17 दिनॉक : 5/7/2016

प्राचार्य,
उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान,
बीकानेर/ ~~जयपुर~~ ।

विषय :–केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में की जाने वाली शोध परियोजनाओं के संदर्भ में ।

प्रसंग :–निदेशालय का आदेश कमॉक माध्य/शिप्र/बी/ /शोध/2016–17, दिनॉक 04–05–2016

–00–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में संचालित सी0टी0ई0 का सतत निरीक्षण किया जाना आवश्यक है । नये सत्र 2016–17 में सी0टी0ई0 द्वारा किए जाने वाले ऑन लाईन सपोर्ट कार्यक्रम का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक हैं, इस हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है, अतः आप नॉडल अधिकारी होने के फलस्वरूप इस क्रम में आवश्यक करणीय कार्यवाही शीघ्र संपादित कर की गयी कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करावे ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सनस्त सी0टी0ई0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E-mail : dir.sec.ttcell@gmail.com
TRANING LATTER SRLP B/E

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

शोध समिति (सीटीई)

22/6/16

आज दिनांक 21/6/16 को केन्द्र प्रवर्तित योजना सीटीई के अन्तर्गत सत्र 2016-17 हेतु शोध प्रयोजनाओं के प्रारूप पर विचार विमर्श उपरान्त अन्तिम स्वीकृति हेतु शोध समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित प्राध्यापक व विशेषज्ञ महानुभव इस प्रकार रहे :-

1. प्रो. मनीषा वर्मा (का. प्रा. कु. शि. प्रमुख) [signature]
2. डॉ. अशोक सिडाना (बाह्य विशेषज्ञ, CTE प्रतिनिधि)
3. डॉ. आनन्द सिंह बिठू (विशेषज्ञ, प्रतिनिधि IASE, BKN) [signature] 21/6/16
4. डॉ. सरिता शर्मा (समन्वयक, सीटीई, सरदारशहर)
5. डॉ. ज्ञानेन्द्र कृष्ण तिवाड़ी (C.T.E / B.T.T.C G.V.M) [signature]
6. डॉ. राजकुमार माली (प्रवक्ता B.T.T.C CTE) – राजकु[signature]
7. मीनाक्षी मोदी (सहायक प्रोफेसर, बु. शि. प्र. महा.) मीनाक्षी मोदी
8. डॉ. रंजीता बैद (सहायक प्रोफेसर बु. शि. प्र. महाविद्यालय) रंजीता
9. संगीता सोनी (सहायक प्रोफेसर B.S.P.M. CTE) संगीता
10. डॉ. शीतल चोरड़िया (~~सहायक प्रोफेसर~~ प्रवक्ता (CTE) B.S.P.M) शीतल
11. डॉ. रमा शर्मा (प्रवक्ता (C.T.E). B.S.P.M) रमा शर्मा
12. डॉ. रतनलाल भोजक (प्रोफेसर, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि) [signature]

बैठक की आवश्यक कार्यवाही

1. डॉ. रमा शर्मा, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की कार्यकुशलता पर आई.सी.टी का प्रभाव : एक अध्ययन

सुझाव :- सरकारी विद्यालय के शिक्षक ही लिये जाने चाहिए, ICT का प्रोग्राम बनाकर उसका प्रभाव देखा जाना चाहिए।

(2) डॉ. रंजीता बैद, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में ध्यान एवं गीता अध्ययन का प्रभाव : एक अध्ययन

सुझाव :- बजट 16000 तक सीमित रखा जाये, राजकीय विद्यालय ही न्यादर्श के रूप में लिया जाये। रंजीता

(3) संगीता सोनी :- वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा अपने विषय में नवाचार एवं ICT के प्रयोग का अध्ययन। सुझाव :-
राजकीय विद्यालय ही लिये जायें, ICT कितने स्कूलों में है उन्हें ही न्यादर्श के रूप में लिया जाये। ICT से जुड़े विद्यालयों की सूची RDPC से लेकर कार्य किया जाये। संगीता

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

(4) डा० शीतल चौहिया, सेवारत वरिष्ठ अध्यापकों के हिन्दी विषय के प्रशिक्षणो-
-परान्त कक्षा गत शिक्षण मे अभिनव प्रयोगः एक अध्ययन।
सुझाव :- चुरु, नागौर व सीकर जिलो को शामिल किया जावें।

(5) सुश्री मीनाक्षी मोदी, माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों मे विभिन्न क्षेत्रों मे शिष्टाचार का अध्ययन।

सुझाव :- न्यादर्श 100 के स्थान पर 50 का ही लिया जा सकता है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक, सहपाठी व माता-पिता को न्यादर्श के रूप मे शामिल किया जावे। मीनाक्षी मोदी

(6) डॉ. सरिता शर्मा, A Study of Psycho-Physiological Effects of Surya Namaskar on Adolesent Students.
सुझाव :- इपचार 90 दिन का ही रखा जावें, बालगृह के स्थान पर नवोदय विद्यालय लिया जावें।

(7) डॉ. नरेन्द्र भट्ट : सेवारत व० अध्यापकों के प्रशिक्षणोपरान्त कक्षा शिक्षण मे कम्प्यूटर के प्रयोग का अध्ययन।

सुझाव :- उद्देश्य 1, 2, 3 मे के प्रयोग जोडा जावे, दत्त/न्यादर्श 50 का रखा जाना चाहिए।

(8.) डॉ. अजय कृष्ण तिवारी :- सेवारत व० अध्यापकों के सामाजिक विज्ञान विषय प्रशिक्षणोपरान्त कक्षागत शिक्षण मे अभिनव प्रयोग : एक अध्ययन।
सुझाव :- शीर्षक उपयुक्त है पर उद्देश्यो मे आन्तरिक शोध समिति की बैठक मे दिये सुझावानुसार संशोधन आवश्यक है

सामान्य निर्देश आगामी व सत्र 2016-17 से जारी समस्त शोध प्रयोजनाओ हेतु :-
(1) सभी को माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में ही अध्ययन करावें
(2) प्रयोजनाओ की प्रति एक सि० सीटीई पुस्तकालय, एक प्रयोजन विभाग सीटीई मे, एक प्रति SIERT, एक Nodal अधिकारी, एक MHRD. एक डायरेक्टर एक प्रति शोधार्थी को की जानी चाहिए। (Training Cell मे)
(3) शोध प्रयोजना निर्धारित वित्त वर्ष मे ही जमा हो अन्यथा रद्द मानी जायेगी

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

17/5/17

सूचना

आज दिनांक 17-5-17 को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत (सीटीई) सत्र 2017 की शोध प्रायोजनाओं के Synopsis (शोध प्रारूप) पर विचार विमर्श हेतु विभागीय शोध समिति की बैठक का आयोजन सीटीई सरदारशहर के Edusat रूम दोपहर 2:30 पर रखी गयी।

बैठक मे उपस्थित महानुभव :-

श्रीमान विजयशंकर आचार्य (Joint Director, BKN) [signature]

श्रीमान रमेश कुमार रंगा (Ass. Director, Training, BKN) [signature]

डॉ. दिनेश कुमार ([illegible]) [signature]

डॉ. संदीप शर्मा (Coordinator & Reader, CTE, Sangaria) [signature]

श्री याकुब खान (Special invitation) [signature]

श्री अभयशील सोनी (Principal, Anjuman Senior Sec. School) [signature]

श्री इन्द्राराम (Principal, Senior Sec. School, Ramsisar) [signature]

डॉ. मनीषा वर्मा (Prof.)

डॉ. सरिताशर्मा (समन्वयक, सीटीई, सरदारशहर) सरिताशर्मा

डॉ. राजकुमार माली (प्रवक्ता) सीटीई सरदारशहर [signature]

डॉ. रमा शर्मा (प्रवक्ता) सी.टी.ई. सरदारशहर रमा शर्मा

2. डॉ. रंजीता बैद (सहायक प्रोफेसर) बु. शि. प्र. महा. सरदारशहर रंजीता

3. डॉ. कंचन शर्मा (प्रवक्ता) सी.टी.ई. सरदारशहर कंचनशर्मा

4. डॉ. संगीता सोनी (प्रवक्ता) सी.टी.ई. सरदारशहर संगीता सोनी

5. डॉ. [illegible] तिवाड़ी (प्रवक्ता) C.T.E सरदारशहर [signature]

16 डॉ. नरेन्द्र भाट प्रवक्ता (CTE), सरदारशहर [signature]

17. IASE BKN - प्रतिनिधि — —

8. (NGO प्रतिनिधि)

बैठक के कार्यवृत

बैठक मे अधोंकित प्राध्यापक महानुभवों द्वारा शोध-प्रायोजना प्रारूप सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

1. डॉ. रमाशर्मा " किशोरों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का [illegible] अध्ययन।"

2. डॉ. कंचनशर्मा " संस्कृत विषय के विद्यार्थियों मे उच्चारण सम्बन्धित समस्याओं का निदानात्मक उपचार।"

— — ...ो की [illegible] विश्लेषण

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahar, Churu (Raj)

(9)

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
UNDER (GANDHI VIDYA MANDIR, SARDARSHAHR)

UTILISATION CERTIFICATE -2017-18

Certified that the grant in aid sanctioned by Govt. of India vide its letter No. F44-19/2017 EE-9 Dt. 12.10.2017 distributed through Govt. of Rajasthan, Education Department, vide letter No. P.13(2) siksha-1/2016 dated 15.11.2017 & P.1(45) V.MA/2007 Dt. 07.12.2007 Unit no. FD/W&M/2017-18/433,434 &435 Dt. 13.10.2017, P.4(1) viT P.13(2) SHIKSHA-1/2016 DATED - 15.11.2017 AMOUNT SANCTIONED Rs. 48,25,000.00 (1ST INSTALLMENT) BUT RECEIVED 44,89,000.00 P.13(2) SIKHSA 1/2017-18 DATED 23.05.18 AMOUNT SANCTIONED Rs 17,55,000.00 (2ND INSTALLMENT)
to IASE G.V.M. Sardarshahr. The Grant has been properly utilized up to 31.03.18
and excess expenditure details for the year are as follows:

DETAILS	GENERAL HEAD (A) 2202-03-103-(01)-00						SC HEAD (B) 2202-03-789-(02)-00					
	SALARY		RESEARCH &		TOTAL		SALARY		RESEARCH &		TOTAL	
	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE
2017-18 CENTRAL & STATE 1ST INSTALLMENT RECEIVED	1522000	1014000	361000	241000	1883000	1255000	468000	112000	111000	38000	579000	150000
2017-18 CENTRAL & STATE 2ND INSTALLMENT SANCTIONED BUT NOT RECEIVED	246000	137000	250000	296000	496000	433000	160000	106000	96000	64000	256000	170000
TOTAL RECEIVED (1ST INSTALLMENT) & SANCTIONED GRANT(2ND INSTALLMENT) GRANT (2017-18)	1768000	1151000	611000	537000	2379000	1688000	628000	218000	207000	102000	835000	320000
ACTUAL EXPENDETURE TILL 31.03.2018	2414818	1609879	713241	475494	3128059	2085373	743021	495347	256138	170759	999159	666106
ESTIMATED EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME BY INSTITUTE 31.03.2018	-646818	-458879	-102241	61506	-749059	-397373	-115021	-277347	-49138.2	-68759	-164159	-346105.8

DETAILS	ST HEAD (C) 2202-03-796-(02)-00						GRAND TOTAL						
	SALARY		RESEARCH & TRAINING		TOTAL		SALARY		RESEARCH &		TOTAL		
	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	CENTRAL	STATE	GRAND TOTAL
2017-18 CENTRAL & STATE 1ST INSTALLMENT RECEIVED	350000	134000	83000	55000	433000	189000	2340000	1260000	555000	334000	2895000	1594000	4489000
2017-18 CENTRAL & STATE 2ND INSTALLMENT SANCTIONED BUT NOT RECEIVED	144000	96000	76000	84000	220000	180000	550000	339000	422000	444000	972000	783000	1755000
TOTAL RECEIVED (1ST INSTALLMENT) & SANCTIONED GRANT(2ND INSTALLMENT) GRANT (2017-18)	494000	230000	159000	139000	653000	369000	2890000	1599000	977000	778000	3867000	2377000	6244000
ACTUAL EXPENDETURE TILL 31.03.2018	557266	371511	177675.6	118450	734942	489961	3715105	2476737	1147055	764703	4862160	3241440	8103600
ESTIMATED EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME BY INSTITUTE 31.03.2018	-63266	-141511	-18675.6	20549.6	-81942	-120961	-825105	-877737	-170055	13296.8	-995159.8	-864440	-1859600
GANT DUE FOR F.Y 2016-17													-989886
TOTAL DUE													-2849486

CHECKED AND FOUND CORRECT

FOR MITTAL ASHOK KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(A.K.MITTAL)
PARTNER

PLACE: JAIPUR
DATED: 09-04-2018

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

MITTAL ASHOK KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

229-230 DHULA HOUSE
BAPU BAZAR ,JAIPUR
TEL :01414008140 M NO 9829106563

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
GANDHI VIDYA MANDIR, SARDARSHAHR (RAJASTHAN)
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

EXPENDITURE	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	INCOME	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
			Grant in Aid		
Salaries.			F.Y. 2017-18 (1st Inst)	4,489,000.00	
General	4024697.00		F.Y. 2017-18 (2nd Inst)	1,755,000.00	
SC	1238368.00			6,244,000.00	6,244,000.00
ST	928777.00	6,191,842.00			
Research &Training Program Exp.					
General	1,188,735.00		Excess of Expenditure Over Inocme		
SC	426,897.00		Transferred to Balance Sheet		1,859,600.00
ST	296,126.00	1,911,758.00			
TOTAL		8,103,600.00	TOTAL		8,103,600.00

FOR MITTAL ASHOK KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUTANTS

(A K MITTAL)
PARTNER

PLACE: JAIPUR
DATED :09-04-2018

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj.)

MITTAL ASHOK KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

229-230 DHULA HOUSE
BAPU BAZAR ,JAIPUR
TEL :01414008140 M NO 9829106563

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
GANDHI VIDYA MANDIR, SARDARSHAHR (RAJASTHAN)
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2018

LIABILITIES	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	ASSETS	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
Grant in Aid (Non Recurring)		8,300,000.00	Fixed Assets		
(as per last balance sheet)			College Building (As per Last Balance Sheet)	2,010,237.65	
			Hostel Building (As per Last Balance Sheet)	2,883,648.00	
Current Liabilities			Staff Quarters (As per Last Balance Sheet)	1,429,755.15	
			A.V. Equipment (As per Last Balance Sheet)	201,407.50	
GVM (Non Recurring A/c) (As per last B/S)	47,988.30		Computer (As per Last Balance Sheet)	471,873.20	
GVM (Recurring A/c)	2,768,351.00		Lab & Workshop (As per Last Balance Sheet)	270,001.90	
Employees Provident Fund	9,255,001.00	12,071,340.30	Books (As per Last Balance Sheet)	680,724.30	
			Furniture & Fixture (As per Last Balance Sheet)	400,340.80	8,347,988.30
			P.F. Investment With Sub-Treasury		8,688,231.00
			Current Assets		
			Laons & Advances	470,000.00	
			Cash in Hand	5,766.00	
			RMSA	8,033.00	
			M.K. Malik	1,836.00	485,635.00
			Deficit Fund	989,886.00	
			Excess of Expenditure Over Income	1,859,600.00	2,849,486.00
TOTAL		20,371,340.30	TOTAL		20,371,340.30

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj.)

AUDITOR'S REPORT

We have Examined the Balance Sheet of **COLLEGE OF TEACHER EDUCATION**, Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr (Raj.) as on 31st March 2018 as above and the attached Income & Expenditure Account for the year ended on that date with the books of Account of Gandhi Vidya Mandir as maintained and produced before us and found the same in accordance therewith subject to point no. 1.

1.No depreciation has been provided on Fixed Assets.

FOR MITTAL ASHOK KUMAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUTANTS

(A.K.MITTAL)
PARTNER

PLACE: JAIPUR
DATED :09.04.2018

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु क्रमोन्नत सीटीई
संस्थाओं हेतु सभी प्रकार के वित्तीय एवं
अकादमिक कार्यों के संबंध में गाईडलाइन

गाईडलाइन 2016

शिक्षक प्रशिक्षण अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

एवं

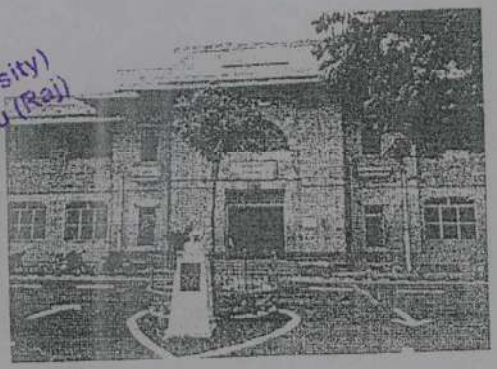

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई)
Institute of Advance Studies in Education
बीकानेर, राजस्थान

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सीटीई संस्थाओं के लिएगाईडलाइन

शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय–सी.टी.ई.

(College of Teacher Education-CTEs)

1. परिचय

सीटीई संस्थाओं को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा के श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में इसे स्थापित करना था। इसके माध्यम से राज्य की अन्य शैक्षिक अभिकरणों जैसे एसआईईआरटी, सीटीई, डाईट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रमसा इत्यादि के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता बढाना है। इस संस्थान के माध्यम से सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षक प्रशिक्षकों की पेशेवर दक्षताओं को उत्तरोत्तर बढाते हुए अनुसंधान के क्षेत्र में गुणात्मक की वृद्धि करने के साथ–साथ शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना है।

2. सीटीई की प्रमुख गतिविधियाँ (Key Activities)

2.1 एम.एच.आर.डी. भारत सरकार द्वारा सीटीई संस्थान के दायित्वों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत संस्थान को प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 600 से अधिक सेवारत वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण करना अनिवार्य कराये।

2.2 सीटीई संस्थान वरिष्ठ अध्यापक/माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं करें।

2.3 सीटीई संस्थान को प्रत्येक वर्ष अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के कार्यों का निष्पादन करते हुए इसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

2.4 सीटीई संस्थान द्वारा एसआईईआरटी, आईएएसई, डाईट, बाईट संस्थाओं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् एवं

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, न्यूपा, एनसीटीई से लिंकेज स्थापित करते हुए शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता संवर्धन करना एवं क्रियात्मक अनुसंधान में उन्हें सहयोग प्रदान करें।

2.5 सीटीई संस्थाओं द्वारा रमसा के साथ समन्वय स्थापित कर माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमताओं, दक्षताओं तथा निपुणताओं को निरन्तर बढ़ाने हेतु तथा इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने, अनुसंधान तथा नवाचार करने का प्रमुख कार्य किया जावे।

2.6 माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सचालित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दक्ष प्रशिक्षकों (एम.टी.) के अभिनवन/प्रशिक्षण संबंधी कार्यों का विषयवार प्रमुख रूप से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी भाषा, सामाजिक विज्ञान में प्रशिक्षणों का आयोजन एवं उनके मॉड्यूल निर्माण का कार्य में सहयोग प्रदान करें।

2.7 राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले अन्य कार्यों जैसे रमसा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबोधन, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबोधन तथा विद्यालयों में मॉनीटरिंग संबंधी कार्यों का निष्पादन करायें।

3. सीटीई संस्थान के प्रमुख प्रभाग

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सीटीई के रूप में क्रमोन्नत संस्थानों में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु तथा सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी व उद्देश्यपरक बनाने हेतु 4 प्रभागों का गठन करें।

3.1 सेवारत शिक्षा एवं प्रसार/प्रस्तार सेवा प्रभाग- इस प्रभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करना तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नए शैक्षिक क्षेत्रों का आकलन करना एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की उपस्थिति, ठहराव व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संबंधी सभी क्रियाकलापों का सम्पादन व संचालन करना।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

3.2 आधारभूत शिक्षा प्रभाग–इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक आधार पत्र एवं मॉड्यूल निर्माण करना है।

3.3 शैक्षिक तकनीकी प्रभाग–इस प्रभाग का प्रमुख कार्य सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के साथ–साथ सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य–श्रव्य सामग्री का निर्माण एवं उपयोग करते हुए आई.सी.टी. एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम के विविध पक्षों को क्रियान्वित करना तथा कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण एवं इसके साथ एजुसैट के माध्यम से विभिन्न विषयों के कक्षा शिक्षण कार्यों में शैक्षिक प्रोद्यौगिकी के उपयोग संबंधी प्रशिक्षणार्थियों की तैयारी तथा अभ्यास अवसर एवं प्रबोधन प्रदान करना।

3.4 शोध एवं प्रकाशन प्रभाग–इस प्रभाग का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों को विद्यालय से संबंधित अनेक प्रकार की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक कठिनाईयों के निवारण हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण एवं अभ्यास कार्य कराना। विद्यालयी शिक्षा व सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विविध क्षेत्रों के संबंध में फोलोअप अनुसंधान तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की आवश्यकतानुसार विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान संबंधी कार्यों का सम्पादन करना तथा विभिन्न प्रकार के प्रकाशन कार्यों को करते हुए सतत् रूप से शोध संबंधी पक्षों को प्रसारित करना।

4 सीटीई को आवंटित जिलेवार कार्य (Catchment)

4.1 सीटीई विद्याभवन, उदयपुर–उदयपुर, पाली, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़।

4.2 सीटीई सरदारशहर, चूरू–चूरू, नागौर, सीकर।

4.3 सीटीई संगरिया, हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।

4.4 सीटीई डबोक, उदयपुर–डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तोड़गढ, राजसमन्द, भीलवाडा, सिरोही।

4.5. सीटीई हटूण्डी, अजमेर–अजमेर, नागौर, भीलवाडा, टोंक, पाली।

4.6 सीटीई भुसावर, भरतपुर–अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली।

4.7 सीटीई जोधपुर–जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाडमेर।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

4.8 सीटीई जामडोली, जयपुर–जयपुर, झुंझुनु व दौसा तीनों जिलों के महिला एवं पुरुष वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिकाएं, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर उदयपुर।

5. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सीटीई संस्थान) के प्रमुख कार्य

5.1 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ प्रारम्भिक एवं माध्यमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षक प्रशिक्षकों की दक्षताओं एवं व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण का कार्य करना।

5.2 केचमेंट क्षेत्र में संचालित डाईट संस्थाओं के शिक्षक प्रशिक्षकों के क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी तथा विभिन्न विषयों में कार्यशालाओं को विभिन्न पक्षों से प्रशिक्षण देते हुए इन्हें लाभान्वित करना।

5.3 विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता बढाने हेतु शिक्षक प्रशिक्षकों के गुणात्मक व्यावसायिक विकास के आधार पत्र तैयार करना।

5.4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षक शिक्षा के मानकों के अनुसार सेवापूर्व प्रशिक्षणार्थियों के सघन प्रशिक्षण के साथ–साथ सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षणों का सतत आयोजन करना।

5.5 रमसा की विविध गतिविधियों यथा–प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एम.टी. प्रशिक्षण एवं मॉड्यूल निर्माण संबंधी गतिविधियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन एवं प्रबोधन संबंधी कार्य करना।

5.6 केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सभी प्रकार की संस्थाओं यथा–डाईट, एससीईआरटी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद्, एनसीईआरटी, न्यूपा के साथ लिंक स्थापित करना।

5.7 दोनों प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा सेवापूर्व एवं सेवारत कार्यक्रमों में आई.सी.टी. एवं नवीन शैक्षिक प्रोद्यौगिकी का उपयोग करते हुए संभागियों की इस संबंध में दक्षताओं का विकास करना।

5.8 विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक संवर्धन हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, परिसंवादों का आयोजन करना।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

5.9 सेवारत अध्यापकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिका, पठन सामग्री एवं विभिन्न प्रकार के माड्यूल का निर्माण एवं प्रकाशन करना।

5.10 सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बद्ध सभी संस्थाओं के संकाय सदस्यों के साथ नियमित रूप से अनुभवों का आदान–प्रदान करना। इस संबंध में चुनौतियों, कठिनाईयों तथा पठन सामग्री के निर्माण व संगठन के संबंध में भागेदारी सुनिश्चित करना।

5.11 एम.एड. एवं पीएच.डी. के प्रशिक्षणार्थियों तथा शोधार्थियों को सम्बलन प्रदान करते हुए इनके व्यावसायिक व्यक्तित्व हेतु सतत् रूप से नवाचार करना।

5.12 सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फालोअप संबंधी अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान को सतत् जारी रखते हुए इस संबंध में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, कार्य संगोष्ठियों तथा शैक्षिक चर्चाओं का सतत् मंच प्रदान करना।

6. सीटीई संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान

6.1 संवेतन (रेकरिंग)–सीएसएस के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतन का वास्तविक व्यय करना।

6.2 प्रशिक्षण, गतिविधियाँ एवं शोध (रेकरिंग)–इस मद में गतिविधिवार योजना बनाई जावे तथा तदनुसार ही व्यय किया जावे।

6.3 कंटीजेंसी मय वाहन व्यय (रेकरिंग)–इस मद में कार्यालय व्यय, बिजली, पानी व्यय, विद्यालय विजिट आदि हेतु मदवार व्यय का प्रावधान कराया जावे तथा उसके अनुसार ही व्यय किया जावे।

6.4 सिविल (नॉन–रेकरिंग)–आवश्यकतानुसार सिविल कार्यों का अनुमोदन कराया जाए एवं उसके अनुसार व्यय किया जावे।

6.5 उपकरण (नॉन–रेकरिंग)–प्रत्येक पांच वर्ष में 20 लाख एक बार तथा नई सीटीई के लिए 30 लाख का प्रावधान है।

7. वार्षिक कार्यक्रम (AWP) के निर्माण (वित्तीय प्रस्ताव भेजते समय) के संबंध में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बिन्दु

7.1 केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना की गाईडलाइन के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

35

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा ईई–9 (शिक्षक शिक्षा) द्वारा पृथक से www.teindia.nic.in की वेबसाइट पर निम्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं–

7.1.1 प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना (Annual Work Plan-AWP) के साथ अकादमिक एवं वित्तीय प्रस्तावों हेतु निर्धारित प्रपत्र अलग–अलग संस्थाओं के लिए उपलब्ध होते हैं।

7.1.2 समय–समय पर भारत सरकार द्वारा सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एवं मूल्यांकन कराने हेतु जे.आर.एम. (Joint Review Mission) के प्रतिवेदन उपलब्ध होते हैं।

7.1.3 प्रतिवर्ष सभी राज्यों के संस्थाओं के TEAB (शिक्षक शिक्षा सलाहकार बोर्ड) द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रस्ताव उपलब्ध रहते हैं।

7.1.4 सेवारत शिक्षक शिक्षा के संबंध में मंत्रालय द्वारा कुछ विषयों में तैयार की गई पठन सामग्री उपलब्ध रहती हैं।

7.1.5 विभिन्न प्रकार के आयोगों के प्रतिवेदन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।

7.2 सीटीई के वर्क प्लान के प्रपत्र के प्रमुख भाग 5.1 में संस्थान संबंधी परिचय से लेकर उसके भौतिक संसाधन, भवन इत्यादि का उल्लेख करते हुए यदि भवन की और आवश्यकता है तो इसकी मांग को इस बिन्दु के चौथे कॉलम में अनिवार्य रूप से भरें।

7.3 बिन्दु 5.2 के दो प्रमुख भाग हैं। प्रथम भाग में संस्थान के प्रतिवर्ष उपलब्धि तथा प्रदर्शन के संकेतकों 16 बिन्दुओं में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। इन 16 बिन्दुओं में सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों को व्यवस्थित एवं सही रूप से भरें।

7.4 इसी बिन्दु के दूसरे भाग में गतिविधियों के इनपुट संबंधी चार बिन्दु हैं, जिससे संस्थान की उपलब्धि प्रभावित होती है। इन चार बिन्दुओं पर सही जानकारी भरी जानी अपेक्षित है। इसी के साथ संस्थान के आउटपुट अर्थात् उपलब्धि का मापन करने वाले पांच बिन्दु और दर्शाए गए हैं जिनमें सेवापूर्व पाठ्यक्रम एम. एड. व बी.एड. की परीक्षा, इस संस्थान से सेवापूर्व के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं सेवारत

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

प्रशिक्षण, नवाचारों, शोधों, गतिविधियों का वर्णन व्यवस्थित रूप से भरा जाना अपेक्षित है।

7.5 बिन्दु क्रमांक 5.5 के कुल नौ उपभाग पत्रक में वर्णित हैं, जिनमें प्रथम उपभाग सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम एम.एड. एवं बी.एड. की सूचनाओं हेतु है और इसके शेष भागों में अनुसंधान, सेवारत अध्यापकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, नवाचारों तथा शैक्षिक प्रोद्यौगिकी से संबंधित जानकारी व उपलब्धियों, पठन सामग्री निर्माण एवं ऑन–साइट सपोर्ट गतिविधियों से संबंधित हैं। 5.5 के सभी नौ उपभागों में जिस वर्ष के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, उसके प्रस्तावित गतिविधियों के साथ–साथ वर्तमान शैक्षिक सत्र में इस संबंध में किन गतिविधियों का आयोजन किया गया है अथवा किया जा रहा है, इन दोनों का उल्लेख इसमें करना अपेक्षित होता है तथा इस बिन्दु के सभी उपभागों के अनुसार अनुमानित प्रस्तावित व्यय विवरण तथा वर्तमान सत्र में वास्तविक व्यय विवरण का इन्द्राज पृथक–पृथक करना अपेक्षित होता है।

7.6 गाईडलाइन के बिन्दु क्रमांक 5.6 में बजट एवं वित्त की समेकित जानकारी जिसके प्रथम भाग में अनावर्तक एवं आवर्तक मद में चालू सत्र में वास्तविक व्यय का विवरण तथा इसी के दूसरे भाग में आगामी वर्ष की कार्ययोजना का अनावर्तक एवं आवर्तक मद में अनुमानित बजट/वित्तीय मांग का वर्णन करना अपेक्षित होता है। इस बिन्दु में अनावर्तक मद में प्रमुख रूप से सिविल कार्य एवं उपकरण मद है। प्रत्येक पांच वर्ष में उपकरण मद में केवल एक बार ही 20 लाख रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने का प्रावधान है। सिविल कार्य में आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। इस हेतु प्रमुख शर्त यह है कि वित्तीय प्रस्तावों के साथ पी.डब्ल्यू.डी. या अन्य सरकारी ऐजेंसी के इंजीनियर द्वारा अनुमानित लागत के प्रस्ताव व मानचित्र सत्यापित किए हुए होने चाहिए।

7.7 आवर्तक (Recurring) प्रस्तावों में निर्धारित प्रपत्र के बिन्दु 5.5 के सभी नौ उपभागों में प्रस्तावित कार्यों, कार्यक्रमों के अपेक्षित Outcomesअर्थात् इन गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले शैक्षिक लाभ/शैक्षिक निहितार्थ का

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

37

वर्णन प्रत्येक उपभाग में प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति के अनुसार लिखा जाना अनिवार्य है।

7.8 वित्तीय प्रस्तावों के प्रथम पृष्ठ के पश्चात् अनावर्तक व आवर्तक राशि जो प्रस्तावित की गई है, उसके एक पृष्ठ के सारांश को दिया जाना अपेक्षित है तथा AWPमें वर्णित प्रस्तावों की अनुक्रमणिका भी मुख्य पृष्ठ के पश्चात् लगाई जानी अपेक्षित है।

7.9 वार्षिक कार्ययोजना में उक्त निर्धारित बिन्दुओं के फार्मेट में अलग–अलग राशि वर्णित करते हुए प्रशिक्षण व शोध हेतु कुल 25 लाख रुपये तथा विविध खर्चों हेतु 12 लाख रुपये एवं वार्षिक वाहन अनुबंध के 3 लाख रुपये इस प्रकार राशि का वर्णन कर रेकरिंग मद में तीन हैड के अन्तर्गत प्रथम संवेतन मद, द्वितीय प्रशिक्षण व शोध मद, तृतीय कंटीजेंसी मय वाहन 15 लाख रुपये के वित्तीय प्रस्ताव बनाए जाना अपेक्षित है।

8. अनावर्तक (Non-Recurring) व्यय संबंधी प्रावधान

8.1 प्रस्तावों में वर्णित अनावर्तक मद में प्राप्त होने वाली उपकरण मद की राशि अधिकतम 20 लाख (प्रत्येक पांच वर्ष में)। नई सीटीई के लिए 30 लाख रुपये उपकरण मद में प्रदान किए जाते हैं।

8.2 नॉन–रेकरिंग प्रस्ताव बनाते समय उपकरण मद हेतु जो सामग्री प्रस्तावित की गई है, उस सामग्री का क्रय/उसे उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय लेखा मानदण्ड तथा जी.एफ. एण्ड आर. के लेखा नियमों का पालन करें।

8.3 सिविल कार्य संबंधी व्यय विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। सिविल कार्य को पी.डब्ल्यू.डी. एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निर्माण संबंधी इंजीनियरिंग शाखा अथवा राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण समिति बनाकर इस कार्य को कराया जा सकता है, जिसमें जी.एफ. एण्ड आर. के लेखा नियमों का पालन करें।

8.4 उपयोगिता प्रमाण–पत्र–अनावर्तक मद में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय नियमानुसार उसी वित्तीय वर्ष में जिस वित्तीय वर्ष में राशि व्यय हुई है, इसे दिया जाना अनिवार्य है।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

8.5 सिविल कार्य जिस ऐजेंसी द्वारा किया गया है एवं जिस वर्ष में कार्य पूर्ण किया गया है, उस ऐजेंसी से भवन पूर्ण का प्रमाण–पत्र (Building Completion Certificate) प्राप्त करना तथा भवन का हस्तान्तरण करते हुए इसका हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

8.6 संस्था के सिविल कार्य पर हुए व्यय के संबंध में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उस ऐंजेंसी से उसी वित्तीय वर्ष में जिसमें Building Completion Certificate दिया गया है, प्राप्त किया जाना संस्थान की जिम्मेदारी है। इस संबंध में आवश्यकतानुसार विभागीय पदाधिकारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

9. आवर्तक (Recurring) व्यय संबंधी

9.1 संवेतन मद–

9.1.1 संस्थान में क्रमोन्नत होने से पूर्व के पदों (Before Upgradation) को छोड़कर अवशेष क्रमोन्नत के पश्चात् के स्वीकृत पदों (After Upgradation) पर कार्य करने वाले सभी शैक्षिक व गैर–शैक्षिक अधिकारियों, कर्मियों के संवेतन व्यय को अंकित करें।

9.2 प्रशिक्षण, शोध व अन्य गतिविधियाँ–

9.2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संभागियों का यात्रा व्यय एवं वर्तमान में विभाग द्वारा निश्चित 130 रु. दैनिक भोजन भत्ता तथा 50 रु. प्रति संभागी प्रति शिविर स्टेशनरी व्यय का प्रावधान है।

9.2.2 प्रशिक्षणार्थियों हेतु पठन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्यवस्तु की फोटोप्रति, पाठ्यवस्तु संबंधी सी.डी. पर होने वाला वास्तविक व्यय प्रशिक्षण मद में किया जा सकता है।

9.2.3 संभागियों के आवास हेतु निर्मित छात्रावास में स्वच्छता, बिस्तर धुलाई, प्रसाधन सुविधाओं हेतु मंगवाई जाने वाली सामग्री, शीतल व स्वच्छ पेय–जल, दैनिक समाचारपत्र, एल.ई.डी. टी.वी. इत्यादि पर वास्तविक व्यय कंटीजेंसी मद में व्यय हो सकते हैं।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

22

9.3 शोध–

9.3.1 सीटीई संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 05 शोध परियोजनाएँ करनी आवश्यक हैं।

9.3.2 शोध परियोजना के प्रस्ताव प्रतिवर्ष माह अप्रैल में प्राप्त कर गाईडलाइन के अनुसार शोध समिति जिसमें संस्था प्रधान, शोध विभाग प्रभारी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतिनिधि एवं अन्य सीटीई का एक प्रतिनिधि हो, इस समिति के माध्यम से प्रस्तावों का अनुमोदन अप्रैल माह में ही किया जाना अपेक्षित है।

9.3.3 शोध कार्य प्रत्येक वर्ष मई से प्रारम्भ होकर माह दिसम्बर–जनवरी तक पूर्ण किए जा सकते हैं।

9.3.4 प्रत्येक शोध परियोजना सामान्यतः एक से तीन जिलों को कवर करने वाली अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग शोध परियोजनाएं प्रमुख रूप से फॉलो–अप स्टडी प्रशिक्षणोपरान्त आगामी वर्ष में उन संभागियों द्वारा प्रशिक्षण में सीखी गई दक्षताओं का उपयोग कक्षा–कक्ष में किस प्रकार किया जा रहा है, इनका पता लगाने हेतु किए जाते हैं।

9.3.5 प्रत्येक लघु शोध परियेाजनाएं अधिकतम 16 से 20 हजार तक के मध्य हो सकती है।

9.3.6 प्रत्येक शोधार्थी शिक्षक को अपनी शोध परियोजना आवंटित वित्तीय वर्ष में ही अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होती है। प्रत्येक लघु शोध परियेाजनाओं पर अधिकतम 16000 रुपये तक व्यय किया जाए। जिसके व्यय की शर्तों का नमूना निम्नानुसार है:–

Term of Reference (TOR) 2016-17

1. एम.एड. एवं बी.एड. में पढाने वाले संकाय सदस्यों के नाम ही शोध करने के लिए प्रस्तावित हैं।
2. शोध कार्य का प्रारूप :–
   I. Topic
   II. Background
   III. Main Objectives
   IV. Sample - District, Block, School तक की जानकारी दें।
   V. Tool

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

VI. Time Period - 25 April, 2016 to 31 January, 2017
   i. Tool Construction
   ii. Data Collection
   iii. Data Analysis & Report Writing
   iv. Printing/Binding & Submission

शोध समिति के क्षेत्र आवंटन के बाद बजट का व्यय एवं मार्गदर्शिका शोध विभाग द्वारा दी जायेगी। शोध परियोजना के लिए अधिकतम व्यय 16 हजार रुपये रहेगा।

3. राशि का विभाजन निम्न मदों में किया जाएगा –
   1. शोध प्रस्ताव स्वीकृति जारी के समय अनुमानित राशि का – 25%
   2. दत्त संकलन के समय – 25%
   3. दत्त विश्लेषण व रिपोर्ट लेखन एवं टंकण – 25%
   4. रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के बाद – 25%
   (प्रस्तुत किए बिलों व व्यय के नियमानुसार सत्यापन के पश्चात)

राशि व्यय की शर्तें :–

1. स्वयं संकाय सदस्य द्वारा यात्रा करने पर राज्य सरकार के यात्रा व्यय नियमानुसार जिसमें संबंधित श्रेणी का यात्रा टिकिट संलग्न करना –
   1.1. 10000 से 19000 रुपये मूल वेतन पर incidental charge - 3 P/KM,स्थानीय व्यय 50 x 2 = Rs.100
   1.2. 19000 रुपये से ज्यादा मूल वेतन पर incidental charge- 5 P/KM,स्थानीय व्यय60 x 2 = Rs.120
   1.3. जयपुर नगर निगम की सीमा पर DAदेय नहीं होगा।
   1.4. जयपुर नगर निगम से बाहर गाँवों/शहरों पर नियमानुसार।
   1.5. जयपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों में दत्त संकलन के लिए केवल संकाय सदस्य आवश्यकता पडने पर वहां निवास करते है तो उन्हें वास्तविक व्यय की रसीद देने पर (अधिकतम 500 रु.) देय होगा।
   1.6. <u>किसी शोधार्थी/छात्र को भेजने पर –</u>
      i. स्थानीय स्तर पर – केवल 50 x 2 = Rs. 100 यात्रा भत्ता, चाहे वह एक दिन में चार विद्यालयों से दत्त संकलन करे।
      ii. अन्य किसी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
      iii. शोधार्थी द्वारा बाहर जाने पर वास्तविक बस/रेल का किराया एवं 110/– रु. D.A.के हिसाब से दैनिक भत्ता देय होगा।
      iv. शहरी क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँचने के लिए 1.50 रु/कि.मी. की दर से रिक्शा भाड़ा देय होगा (जो अधिकतम 20 रु. से अधिक नही होगा)।
      v. संभाग मुख्यालय पर विद्यालय स्थल तक पहुँचने पर निर्धारित 25 रु. ही देय होगा।
      vi. ग्रामीण विद्यालय तक पहुँचने पर किसी प्रकार का रिक्शा भाडा देय नही होगा।
      vii. संकाय के शोध प्रतिनिधियों को दैनिक भत्ता संबंधित विद्यालय से उपस्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

1.7. प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित संकाय सदस्य को अपने प्रतिवेदन की 2 सी.डी. भी देनी अनिवार्य होगी जिसका अधिकतम व्यय 25/– रु. होगा।

1.8. शोधकर्ता का मुख्य प्रतिवेदन/रिपोर्ट सहित कॉपिया निर्धारित समय तक ही देय होगी।

1.9. प्रोजेक्ट कार्य हेतु प्रश्नावली/अवलोकन पत्र आदि उपकरणों की एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फोटोकॉपी हेतु रु. 1.50/– प्रति कॉपी राशि देय होगी।

1.10. शोध परियोजना कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा स्थायी सामग्री जैसे–पुस्तकें, स्टेपलर इत्यादि क्रय किए जाने पर शोध पश्चात् महाविद्यालय में जमा करानी होगी।

1.11. प्रश्नावली आदि उपकरण एवं रिपोर्ट कार्य के टंकण हेतु अधिकतम व्यय 15 रु./पृष्ठ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ही देय होगा।

1.12. प्रोजेक्ट में दत्त विश्लेषण को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित पाई चार्ट ग्राफ या अन्य एवं मुख्य पृष्ठ के निर्माण की प्रथम प्रति (रंगीन) ग्लोसी शीट या अन्य 130 जी.एस.एम से अधिक हेतु अधिकतम राशि 15 रु./पृष्ठ तथा डायमण्ड अथवा 75 GSM से अधिक के पेपर हेतु 10 रु./पृष्ठ देय होगी।

1.13. रंगीन पृष्ठों को फोटो स्टेट डायमण्ड अथवा 75 GSM से अधिक का पेपर लें जिसकी अधिकतम व्यय राशि 10 रु./पृष्ठ देय होगी।

1.14. यदि किसी प्रोजेक्ट कार्य में शोधार्थी आवश्यक समझता है कि अपने कैमरे में कुछ फोटो खींचकर प्रोजेक्ट कार्य में लगाई जाए तो इस हेतु 10 रु./फोटो का व्यय ही अधिकतम देय होगा।

1.15. बाइंडिंग के लिए अधिकतम राशि 20 रु. है।

1.16. जयपुर व कैचमेंट एरिया के अन्य जिलों के लिए ऑन साइट सपोर्ट (लैब एरिया गतिविधि) के लिये संकाय सदस्यों को संस्था के किराये के वाहन का उपयोग करना है। यदि किन्हीं कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं होता है तो जयपुर जिले के लिये स्थानीय कन्वेंस अधिकतम 60 x 2 = Rs.120 तथा अन्य जिलों के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार यात्रा भाड़ा देय होगा। लैब एरिया के विद्यालयों के सभी प्रभारी संकाय सदस्यों को लैब एरिया के प्रस्तावों के साथ ही इसकी कार्ययोजना मय तिथियाँ व समय तैयार करके देनी होगी।

1.17. शोधार्थी द्वारा जिन विद्यालयों से दत्त संकलन का कार्य किया है। विद्यालयों की सूची संस्था प्रधान के नाम व फोन नं सहित परिशिष्ट में लगायें।

1.18. दत्त संकलन के लिये यात्रा भत्ते तथा सर्वेक्षण की तिथियों के सत्यापन संबंधी समस्त जिम्मेदारी संबंधित शोधार्थी/संकाय सदस्य की होगी।

1.19. परियोजना जमा करने के सात दिवसों के भीतर समस्त प्रकार के व्यय के बिल–बाउचर कार्यालय में जमा कराने अनिवार्य होंगे।

नोट :

1. शोधार्थी द्वारा शोध परियोजना कार्य में अधिकतम व्यय राशि 16000 रु. होगी तथा शेष बची राशि महाविद्यालय में जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी का व्यय होता है तो अतिरिक्त व्यय राशि का भुगतान महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj.)

2. उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दैनिक यात्रा भत्ते के संबंध में राज्य सरकार के संशोधित आदेश 08 मई, 2012 के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
3. शोध प्रस्ताव अनुमोदित होने के पश्चात् समय–समय पर अपनी शोध प्रगति के संबंध में जानकारी शोध एवं प्रकाशन विभाग एवं शोध समिति को देनी होगी।
4. यदि किसी कारणवश किसी संकाय सदस्य द्वारा अपनी शोध परियोजना कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा ली गई समस्त राशि संबंधित संस्थान में जमा करानी होगी।

9.3.7 प्रत्येक शोधार्थी शिक्षक को कम–से–कम इस प्रतियों में अपना शोध प्रतिवेदन सीटीई के शोध विभाग को देना चाहिए, जिसे संस्थान द्वारा अलग–अलग शैक्षिक निकायों को भिजवाया जाए तथा एक प्रति शोधार्थी को, एक प्रति पुस्तकालय को, दो प्रतियां शोध विभाग को, अन्य प्रतियां एसआईईआरटी, निदेशालय, सचिवालय, शिक्षक शिक्षा विभाग, एमएचआरडी को प्रतिवर्ष शोध अध्ययनों की भिजवाई जानी चाहिए।

9.3.8 शोध कार्यों के व्यय की पुष्टि हेतु विभाग के अन्य अभिकरणों को किए गए शोध कार्यों के प्रतिवेदन की प्रतियां निम्नांकित अभिकरणों को प्रतिवर्ष भिजवाना अनिवार्य है–एसआईईआरटी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, आईएएसई, माध्यमिक शिक्षा ग्रुप–प्रथम शासन सचिवालय, निदेशक शिक्षक शिक्षा एमएचआरडी शास्त्री भवन, नई दिल्ली तथा आपके स्वयं के संस्थान के पुस्तकालय की प्रति।

9.4 <u>ऑन–साइट सपोर्ट गतिविधि</u>–सीएसएस के पदों पर कार्यरत सभी संकाय सदस्यों को अपने–अपने विषय में आस–पास के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8वीं से 10वीं को पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को अकादमिक सहायता व सम्बलन तथा विद्यार्थियों को सहायता व सम्बलन देने के लिए प्रत्येक विषय में कम–से–कम प्रत्येक संकाय सदस्य को न्यूनतम तीन माह तक विद्यालय की उस कक्षा के कालांश में नियमित अवलोकन व सम्बलन प्रदान करें।

9.4.1 कम–से–कम एक सीटीई को 05 से 10 ऑन–साइट सपोर्ट गतिविधियां सम्पादित करनी चाहिए। प्रत्येक ऑन–साइट सपोर्ट गतिविधि का प्रतिवेदन लघु शोध परियोजना के अनुरूप तैयार कर संस्थान के शोध विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

9.4.2 प्रत्येक ऑन–साइट सपोर्ट गतिविधि का बजट 16 से 18 हजार रुपये के मध्य रखा जा सकता है। इस राशि में विद्यार्थियों के लिए डिक्शनरी, अध्यापक के लिए सहायक सामग्री, विद्यार्थी/विद्यालय के लिए आवश्यकतानुसार कोई सामग्री/साधन उपलब्ध कराना तथा प्रतिवेदन तैयार करने पर होने वाले व्यय इस मद में व्यय हो।

9.5 लैब एरिया गतिविधि–आस–पास के राजकीय विद्यालयों में नवाचारों एवं शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों के प्रयोग एवं वास्तविक स्थितियों में नवाचारों की पहल नियमित रूप से संकाय सदस्यों द्वारा की जा सकती है। इस हेतु भी आवश्यकतानुसार प्रत्येक गतिविधि के लिए 5–10 हजार रुपये के मध्य व्यय किया जा सकता है तथा इसका भी प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

9.6 प्रकाशन–

9.6.1 त्रैमासिक न्यूज बुलेटिन–प्रत्येक सीटीई को भारत सरकार के मानदण्डानुसार विभागीय त्रैमासिक न्यूज बुलेटिनका प्रकाशन करना अनिवार्य है। इस न्यूज बुलेटिन में कराई जा रही शैक्षिक व सह–शैक्षिक गतिविधियों का नियमित प्रसारण एवं आगामी कार्यक्रमों का विवरण इत्यादि का नियमित प्रचार–प्रसार एवं अन्य संस्थाओं से लिंकेज निरन्तर बनाएँ।

न्यूज बुलेटिन की प्रसार संख्या आवश्यकतानुसार 200 से लेकर 1000 प्रतियों तक प्रत्येक तीन माह की हो सकती है। बशर्ते कि यह न्यूज बुलेटिन राज्य के सभी सीएसएस संस्थानों, केचमेंट एरिया के जिलों के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्येक तीन माह में डाक से नियमित प्रेषित किए जाएं। प्रतियों की प्रसार संख्या के अनुरूप तथा न्यूज लैटर के पृष्ठों के अनुरूप इसका व्यय किया जा सकता है। यदि A4आकार का चार पृष्ठीय बहुरंगी न्यूज लैटर 170 GSM आर्ट पेपर पर प्रकाशित कराया जाता है तो 300 प्रतियों तक का अधिकतम व्यय 2200–2300 रुपये हो सकता है। संस्था अपनी गतिविधियों व कार्यक्रमों के अनुरूप न्यूज लैटर के पृष्ठों को आठ रख सकती है एवं इसकी प्रसारण संख्या भी

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj.)

आवश्यकतानुसार बढ़ा सकती है, उसी अनुरूप इस पर व्यय की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

9.6.2 ब्राउशर–संस्थाओं को अपने कार्यों की उपलब्धि को सारांश में प्रतिवर्ष प्रदर्शित करने, प्रचार–प्रसार करने हेतु बहुरंगी ब्राउशर का वार्षिक प्रकाशन नियमित रूप से करना चाहिए। ब्राउशर का अधिकतम आकार 11.5" x 17" तथा थ्री फोल्ड बहुरंगी ब्राउशर 170 GSM आर्ट पेपर पर प्रकाशित कराया जाता है तो 1000 प्रतियों तक का अधिकतम व्यय 4500 रुपये आ सकता है। इसे संस्थान के प्रचार–प्रसार हेतु गाईडलाइन के अनुसार प्रकाशित कराएँ।

9.6.3 शिक्षक संदर्शिका–सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले पंचांग में पूर्व में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2004–05 में शिक्षा विभाग को अन्य सामाजिक व शैक्षिक पक्षों पर शिक्षकों के सरोकार रखे जाने के संबंध में कुछ क्षेत्रों को की ज़ानकारी के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में विभाग प्रतिवर्ष उन शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी जैसे–मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, आपदा प्रबंधन, बाल अधिकार इत्यादि 20 क्षेत्र हैं। इन पर संक्षिप्त शिक्षक संदर्शिका एवं आई.सी.टी., कम्प्यूटर, शैक्षिक तकनीकी संबंधी शिक्षक संदर्शिकाओं को तैयार कराकर प्रतिवर्ष आने वाले शिक्षकों को पठन सामग्री के रूप में दी जाए।

पठन सामग्री/शिक्षक संदर्शिकाएं छोटी–छोटी पुस्तिकाओं जिसका सामान्य आकार 5.25" x 8.25" तथा औसतन पृष्ठ 40 से 72 हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उक्त आकार की 40 पृष्ठीय 500 पुस्तिकाएँ जिसमें बहुरंगी कवर पेज 300 GSM आर्ट पेपर एवं अन्दर के श्वेत–श्याम पृष्ठ 90 GSM पर प्रकाशित कराने का अधिकतम व्यय 14000 रुपये आ सकता है।

9.7 शैक्षिक क्रियात्मक शोध–संस्थान को प्रतिवर्ष क्रियात्मक अनुसंधान को व्यावहारिक रूप से कराने हेतु विद्यालयों के वरिष्ठ अध्यापकों के साथ–साथ डाईट संकाय सदस्यों को सहायता प्रदान करें।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj.)

9.7.1 न्यूनतम 15 से 20 संकाय सदस्य शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उनके विद्यालय व क्षेत्र की समस्याओं का चिह्नीकरण कार्यशाला में कर उनसे व्यावहारिक अनुसंधान कराया जा सकता है। प्रत्येक क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले प्रत्येक सदस्य को इस संबंध में स्टेशनरी एवं प्रतिवेदन लेखन हेतु आर्थिक सहायता 2500 रुपये तक प्रदान की जा सकती है।

9.7.2 इस प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधानों का अभिलेख शोध करने वाले अध्यापक के विद्यालय एवं सीटीई संस्थान के शोध विभाग में रहना चाहिए तथा इन्हें प्रोत्साहन देने हेतु विभाग की शिविरा पत्रिका साथ अन्य विभागीय पत्रिकाओं में इसका सारांश भी प्रकाशित कराएँ।

9.8 <u>राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन</u>–सीटीई संस्थाओं को वर्ष में कम–से–कम दो–तीन कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यशाला में सीएसएस से जुड़ी राज्य की संस्थाओं के साथ–साथ देश के अन्य भौगोलिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत राज्यों का प्रतिनिधित्व रखते हुए इसका आयोजन करना चाहिए। इस कार्यशाला में अधिकतम दस बाहरी विशेषज्ञों को रमसा द्वारा निर्धारित मानदेय 1000 रुपये प्रति दिवस व यात्रा भाड़ा विभागीय नियमानुसार तथा सीएसएस के संभागियों को यात्रा भाड़ा एवं 1/4 डी.ए. दिए जाएँ।

9.8.1 इसी प्रकार अन्य शैक्षिक मुद्दों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में आने वाले अधिकतम पांच विषय विशेषज्ञों को 500 रुपये प्रति दिवस मानदेय व यात्रा भाड़ा विभागीय नियमानुसार तथा सीएसएस के संभागियों को यात्रा भाड़ा एवं 1/4 डी.ए. दिया जाए।

9.8.2 इन कार्यशालाओं का प्रतिवेदन तैयार कर विभागीय संस्थाओं को भिजवाया जावे।

9.9 <u>नवाचार आधारित गतिविधियाँ</u>–

9.9.1 नवाचार आधारित गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विविध पक्षों की गुणवत्ता बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अनेक प्रकार के व्यावहारिक प्रयोग एवं गतिविधियाँ विषयवार एवं सहगामी क्रियाओं से सम्बद्ध गतिविधियाँ तथा शिक्षण की

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

नई प्रविधियों व युक्तियों संबंधी गतिविधियों एवं प्रयोगों का सतत् क्रियान्वयन करके तथा क्रियात्मक अनुसंधान के साथ इसे जोड़कर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए अनेक नई युक्तियों तथा पद्धतियों का सृजन किया जाना चाहिए। जैसे–शिक्षण में निर्मितिवाद तथा विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान सृजन करने संबंधी विविध युक्तियों, व्यूह रचनाओं का प्रयोग प्रदर्शन तथा विद्यार्थियों के साथ सतत् अभ्यास इत्यादि।

9.10 <u>वाहन अनुबंध</u>–

9.10.1 संस्थान द्वारा नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में जाकर की जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों एवं शोधकार्यों का प्रभावी निष्पादन करने हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना से वाहन का वार्षिक अनुबंध करने का प्रावधान है। (यदि संस्था को एमएचआरडी से कंटीजेंसी मद की राशि प्राप्त होती है तो)

9.10.2 वार्षिक अनुबंध की शर्तें वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.rajasthan.gov.in पर FD Rules Section में दी गई शर्तों के अनुसार अथवा जिला कलैक्टर कार्यालय में किए जाने वाले वाहन अनुबंध की शर्तों के अनुसार अथवा माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलों पर ए.डी.पी.सी. रमसा कार्यालय द्वारा किए जाने वाले वाहन अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सीटीई संस्थाएँ प्रतिवर्ष वाहन अनुबंध कर सकती हैं।

9.10.3 अनुबंधित किए गए वाहन व्यय का पुनर्भरण प्रशिक्षण मद के अलावा कंटीजेंसी मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जा सकता है। कंटीजेंसी मद की राशि कुल 15 लाख है जिसमें से 3 लाख रुपये वार्षिक वाहन अनुबंध का प्रावधान है।

9.11 <u>आवर्तक (Recurring) व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र</u>–

9.11.1 केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सीटीई संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतया प्रतिवर्ष मई तृतीय सप्ताह से आगामी वर्ष फरवरी द्वितीय सप्ताह तक संचालित होते हैं। इसी प्रकार की जाने वाली अन्य गतिविधियाँ भी सामान्य रूप से माह फरवरी में सम्पन्न कराएँ।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

9.11.2 संस्थान को प्राप्त होने वाली रेकरिंग राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सामान्यतया वर्ष में दो बार देना होता है जिसमें प्रथम बार मध्यवर्ती उपयोगिता प्रमाण–पत्र माह अप्रैल से माह अक्टूबर तक का जिसमें प्रथम किश्त में प्राप्त होने वाली रकेरिंग ग्रांट के व्यय के संबंध में वर्णन किया जाता है तथा आगामी छमाही में संभावित अन्य व्ययों को भी इस मध्यवर्ती उपयोगिता प्रमाण–पत्र में वर्णित किया जाना अपेक्षित होता है।

9.11.3 संस्था को प्राप्त होने वाली रेकरिंग राशि की प्रथम व द्वितीय किश्त में राशि यदि वास्तविक व्यय से अधिक प्राप्त हुई है तो उस अधिक राशि को 21 मार्च से पूर्व आपके संबंधित कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है, जिसका वर्णन रेकरिंग उपयोगिता प्रमाण–पत्र में किया जाना चाहिए।

9.11.4 वार्षिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र में संवेतन, प्रशिक्षण, स्टेशनरी, वार्ताकार मानदेय, यातायात, संभागियों व वार्ताकार का टी.ए., डी.ए., शोध व प्रकाशन, वाहन अनुबंध एवं अन्य सभी व्ययों को स्पष्ट रूप से वर्णित करना अनिवार्य है।

9.11.5 वार्षिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व तैयार कर संबंधित संभाग के शिक्षा उपनिदेशक (माध्य0) के प्रतिहस्ताक्षर कराकर इसे उपनिदेशक (योजना) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर तथा इसकी एक अग्रिम प्रति उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप–प्रथम शासन सचिवालय को अनिवार्य रूप से भिजवाई जानी चाहिए।

10. अन्य दायित्व

10.1 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा–

10.1.1 बी.एड. व एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों को श्रेष्ठ व निपुण शिक्षक बनाने हेतु शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय खोजना एवं उन्हें क्रियान्वित करना।

10.1.2 एम.एड. एवं पीएच.डी. के विद्यार्थियों/शोधार्थियों के लिए शोध दक्षताओं एवं सर्वेक्षणों का अभ्यास तथा शिक्षा शिक्षण की पेडागॉजी

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
S.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

संबंधी अभ्यास कार्य राजकीय विद्यालयों में व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षणार्थियों से कराना।

10.1.3 अनुसंधान की क्षमताओं को विकसित करने हेतु शोध कार्यशाला, सिम्पोजियम, संगोष्ठी, चर्चा, शोध रूपरेखा निर्माण कार्यशाला, संबंधित साहित्य अध्ययन कार्यशाला इत्यादि का नियमित रूप से क्रियान्वयन एवं संचालन।

10.1.4 प्रारम्भिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विविध कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन करना।

11. सेवारत शिक्षक शिक्षा

11.1 वार्षिक पंचांग के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना

11.1.1 वार्षिक पंचांग के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क कर प्रशिक्षण तिथि से न्यूनतम 60 दिन पूर्व संबंधित संभागी/प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति देने संबंधी आदेश जारी कराना।

11.1.2 संस्थान में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सूची भिजवाए जाने के उपरान्त संस्थान के माध्यम से पुनः संबंधित अध्यापकों को प्रशिक्षण में आमंत्रित करने हेतु पत्राचार करना।

11.1.3 प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले संभागियों एवं अनुपस्थित रहने वाले संभागियों की सूची प्रशिक्षण समाप्ति के दो दिवस के भीतर विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल एवं हार्ड-कॉपी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना।

11.1.4 बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यालय आधारित विविध प्रकार की गतिविधियों को छोटे-छोटे समूहों में विद्यालय आवंटित करके उन्हें राधन रूप से कराने का अभ्यास तथा प्रतिवेदन तैयार करना। इसके साथ-साथ विद्यालय के संचालन संबंधी व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M.,Sardarshahr, Churu (Raj)

11.1.5 बी.एड. पाठ्यक्रम के अध्यापन–अभ्यास से पूर्व सूक्ष्म शिक्षण कार्यशाला का सघन क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षणार्थियों को कौशलों के अभ्यास के अवसर देना।

11.1.6 बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के लिए तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में प्रशिक्षणार्थियों लघु समूह (15 से 20) बनाकर उन्हें पृथक–पृथक विद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु कार्य कराना तथा इस कार्यक्रम का सघन प्रबोधन व मूल्यांकन प्रदान करना।

11.2 <u>मासिक व त्रैमासिक प्रतिवेदन एवं बैठकें</u>

11.2.1 विभाग द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में मांगी जाने वाली वार्षिक सूचनाएँ प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में नोडल अधिकारी एवं एसआईईआरटी दोनों को प्रेषित करना।

11.2.2 त्रैमासिक शैक्षिक एवं गतिविधियों संबंधी तथा वित्त व्यय संबंधी सूचनाएँ विभाग को प्रेषित करना।

11.2.3 त्रैमासिक बैठकों में अनिवार्य रूप से भागीदारी देना तथा त्रैमासिक बैठकों के कार्यवृत्त में सुझाए गए बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करना।

11.3 <u>कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) की बैठकें</u>

11.3.1 भारत सरकार की मूल गाईडलाइन के अनुसार पी.ए.सी. समिति का गठन करते हुए वर्ष में दो बार प्रथम बैठक माह जुलाई–अगस्त में व द्वितीय बैठक माह फरवरी में आयोजित करना। दोनों बैठकों में कार्यक्रमों व गतिविधियों की समीक्षा व भावी योजनाओं संबंधी खुली चर्चा एवं समिति द्वारा बताए गए सुझावों का पालना सुनिश्चित करना।

11.3.2 पी.ए.सी. बैठक की सूचना कम से कम 30 दिवस पूर्व जारी करना तथा बैठक में शत–प्रतिशत पदाधिकारी भाग लें, इस हेतु सतत् सम्पर्क व प्रयास करना।

11.3.3 गाईडलाइन के अनुसार पी.ए.सी. का गठन निम्नानुसार हो–

1. Principal, CTE/IASE- Convenor.
2. Representative of all Agencies with whom the institution is expected to have linkage e.g.,

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

(33)

5D

a. Education faculty if the University.
b. SCERT & SIET
c. Divisinoal/Distt. level officers of Education Deptt.
d. Local radio/TV station (wherever applicable and necessary)
e. Principals of DIETs of the districts which the CTE/IASE is expected to serve.
f. Principals of two secondary schools belonging to the districts which the CTE/IASE is expected to serve.

3. Representative of the Client Group and Staff :-
   a. One or two students of the degree/postgraduate courses.
   b. Two teachers who may have undergone an in-service programme in the last one year or who may otherwise ne interested in in-service/continuing education of teachers.
   c. One research scholar working in the institution.
   d. Two representative of the Faculty of the Institution of whom one would be a Professor/Reader and one lecturer.
4. Others
   a. Two eminent educationists/teacher educators/teachers who may be interested in associating themselves with and contributing to the activities of the institution.
   b. One or two representatives of Voluntary Organisations working in the field of education in the distreits concerned.

11.4 <u>राज्य स्तरीय शिक्षक शिक्षा सलाहकार समिति हेतु प्रत्येक छमाही का प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना</u>

11.4.1 भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सीटीई संस्थाओं को दिए गए विभिन्न प्रकार के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवाचार एवं शोध व प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियों का छमाही प्रतिवेदन तैयार करते हुए राज्य स्तर पर होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक शिक्षा सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। इस पर विचार मंथन करते हुए सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों की पालना में इन कार्यक्रमों को सतत् अद्यतन बनाए रखना अपेक्षित है।

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

51

12. मॉनीटरिंग

वार्षिक कार्य योजना एवं संस्थान के कार्यों की प्रगति निम्न प्रपत्रों में मासिक/त्रैमासिक सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें–

12.1 योजना मद में–

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	संवेतन	
		कार्यरत कर्मियों की संख्या	बजट प्रावधान

12.2 मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रशिक्षण एवं गतिविधियाँ

Joint Direc4 (Teachers' Training) Secondary Education Bikaner

Teacher's Training Programmes (Report)

Month : .....

Name of the Institute	Proposed Training Programmes	Conducted Training Programmes	Participants Called In Proposed Training Programmes	Cancelled Training Programmes	Participants Called In Conducted Training Programmes	Participants appeared In Conducted Training Programmes	Absentees In Conducted Training Programmes	Percentage presence In Conducted Training Programmes

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्यक्रम	आयोजित कार्यक्रम	प्रस्ता. संभागी सं.	लाभा. संभागी सं.	अनु. संभागी

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप

क्र.सं.	गतिविधि	बजट प्रावधान		व्यय इस माह में.....		व्यय (अब तक)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
(22).M.,Sardarshahr, Churu (